

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(167/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 771

दिनांक 8.3.21

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversification of 18.567 ha. forest land in favour of Executive WR
Project Division Bundi for Construction of canal (LMC&RMC)
for Gararda Medium Irrigation Project.

(प्रस्ताव सं. FP/RJ/IRRIG/30576/2017)

संदर्भ:—राज्य सरकार का पत्रांक प1(144)वन/2020 दिनांक 6.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कोटा से
प्राप्त सूचना उनके पत्रांक 601 दिनांक 4.2.2021 व 983 दिनांक 24.2.2021 (छांया प्रति
संलग्न) सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:— उक्तानुसार।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(167/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 772

दिनांक 8.3.21

प्रतिलिपि:—मुख्य वन संरक्षक, कोटा को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/983

दिनांक : 24-2-2021

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय : Diversion of 18.567 ha. forest land in favour of Executive Engineer WR Project Division
Bundi for Construction of canal (LMC & RMC) for Gararda Medium Irrigation Project distt.
(Proposal No. FP/RJ/WATER/34407/2018)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 15.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई0डी0एस0 से चाही गयी सूचना की पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक 1149 दिनांक 19.02.2021 से कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	EDS	जवाब
1	Please give the detail of NFL land with documents. How much land was reserved for CA by distt. Collector. How much land was adjusted in the chunk of NFL land before this proposal-give the detail of the proposal also. How much land is still remaining after this proposal.	उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक 1149 दिनांक 19.02.2021 से अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में 108.61 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से कार्यालय जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश क्रमांक 4297-4306 दिनांक 02.06.2016 से विषयांकित प्रकरण में 18.567 हैक्टर भूमि के समायोजन के आदेश प्रसारित किये गये हैं। समायोजित वनभूमि कोटाखुर्द बी वनखण्ड के नाम से नोटिफाइड है एवं उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर के क्षेत्राधीन है। वर्तमान में जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या . FP/RJ/ROAD/29812/2017(लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-रानीजी का गुढ़ा एनएच-12)में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि 32.3264 हैक्टर भूमि के समायोजन की कार्यवाही प्रगतिरत है। अतः ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ एवं जिला बून्दी में प्राप्त 108.61 हैक्टर भूमि (वनखण्ड कोटाखुर्द बी0) में से 57.7166 हैक्टर भूमि शेष है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनोज पाराशर)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बून्दी को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा